संख्या-93/2017/1560/71-1-2017-जी-210/2016

प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
अपर मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 25 जुलाई, 2017

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 में राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों हेतु उपकरण मद में स्वीकृत धनराशियों की उपयोगिता अवधि बढ़ाए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2017/200, दिनॉक 16-06-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करे।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों/राजकीय संस्थानों (हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे0के0 कैंसर संस्थान, कानपुर) हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत की गयी धनराशि के सापेक्ष रू0 1,21,42,80,087.00 को आहरित कर किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के पी0एल0ए0 खाता संख्या-8448047 में शासनादेश संख्या-70/2017/652/71-1-2017-जी-210/2016, दिनॉक 31-03-2016 द्वारा दिनॉक 30-06-2017 तक रखने की अनुमति प्रदान की गयी थी। इस बीच उक्त धनराशि में से प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, गोरखपुर व आगरा द्वारा रू0 16,11,746.00 का व्यय कर लिए जाने के कारण उक्त धनराशि 1,21,42,80,087.00 में से रू0 1,21,26,68,341.00 की धनराशि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के पी0एल0ए0 खाता संख्या-8448047 में रक्षित की गई। उक्त पी0एल0ए0 में रक्षित धनराशि रू0 1,21,26,68,341.00 की उपयोगिता अवधि दिनॉक 30-06-2017 को समाप्त हो गई है।

3- आपके उक्त पत्र दिनॉक 16-06-2017 में वर्णित स्थिति के दृष्टिगत श्री राज्यपाल महोदय शासनादेश दिनॉक 31-03-2016 के द्वारा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के पी0एल0ए0 खाता संख्या-8448047 में रक्षित धनराशि रू0 रू0 1,21,26,68,341.00 की उपयोगिता अवधि दिनॉक 01-07-2017 से 30-09-2017 तक विस्तारित किए जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करते है कि उक्त पी0एल0ए0 में रखी धनराशि की उपयोगिता निर्धारित अवधि तक अवश्य सुनिश्चित कर ली जाए। शासनादेश दिनॉक 31-03-2016 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-944(1)/दस-2017, दिनॉक 21 जुलाई, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत् किए जा रहे है।

संलग्नक--यथोक्त।

भवदीया,

(डा0 अनिता भटनागर जैन)
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:- 93/2017/1560(1)/71-1-2017 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, कानपुर, झाँसी, मेरठ, गोरखपुर, आगरा, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, जालौन, कन्नौज, सहारनपुर, बाँदा तथा बदायूँ।
3- प्रोफेसर-निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर ।
4- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, कानपुर, झाँसी, मेरठ, गोरखपुर, आगरा, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, जालौन, कन्नौज, सहारनपुर, बाँदा तथा बदायूँ।।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
7- कोषाधिकारी, इलाहाबाद, कानपुर, झाँसी, मेरठ, गोरखपुर, आगरा, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, जालौन, कन्नौज, सहारनपुर, बाँदा तथा बदायूँ।
8- नियोजन अनुभाग-4
9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।